प्रकरण संख्या 05/2016 RCMS ID-2016/00013 ता0रजू 19.02.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रामस्वरूप पुत्र श्रीलाल उम्र 80 वर्ष जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

1. राकेश उम्र 51 वर्ष
2. मुकेश उम्र 40 वर्ष
3. सुकेश उम्र 35 वर्ष
   } पि0 बृजवासी
4. दाखाबाई बेवा बृजवासी
5. मनीराम उम्र 62 वर्ष
6. उदयराज उम्र 55 वर्ष
   } पि0 चिरंजी
7. पृथ्वीराज उम्र 56 वर्ष
8. राममूर्ति उम्र 54 वर्ष
   } पि0 रामसहाय
9. लाडबाई बेवा रामसहाय उम्र 54 वर्ष
10. बुद्धराम पुत्र भजन उम्र 75 वर्ष

(1 ता 10) जाति मीना निवासी नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

11. उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट्स

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत अन्तरित किये जाने पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम व मुकदमा उनवानी रामस्वरूप बनाम राकेश वगै0 मु.नं. 26/2019 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामस्वरूप बनाम राकेश वगै0 मु.नं. 11/2019 आ0ता.पेशी 08.08.2019</u>

निर्णय

दिनांक 05.11.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 235 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 24 रकबा 33 एयर, ख.नं. 76 रकबा 39 एयर, ख.नं. 402 रकबा 10 एयर, ख.नं. 788 रकबा 18 एयर, ख.नं. 1337 रकबा 11 एयर, ख.नं. 1338 रकबा 23 एयर, कुल किता 6 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर किस्म नहरी स्थित ग्राम नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 1 प्रार्थना पत्र, मुताबिक रिकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रार्थी व गैरसायलान नं0 1 ता 10 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें अब भी साल दर साल काश्त हो रही है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 1 प्रार्थना पत्र पैतृक आराजीयात है, जिसमें प्रार्थी व हिस्सा 1/6 एवं अप्रार्थी नं0 1 ता 4, अप्रार्थीगण नं0 5 ता 9 व हिस्सा 2/6 तथा प्रार्थीगण नं0 10 व हिस्सा 1/4 के खातेदार कास्तकार है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण नं0 1 ता 10 संयुक्त रूप से उक्त आराजीयात के प्रत्येक भू भाग पर अपने हिस्सा अनुसार काश्त करते चले आ रहे है और यह क्रम आज भी बदस्तूर जारी है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजीयात को किसी भी व्यक्ति के यहां रहन, व्यय नहीं रखी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है, इसलिये आये दिन डील–मैड आदि पर आये दिन झगड़ा होता रहता है। इसलिये प्रार्थी ने उक्त आराजीयात के सरस–नरस से बंटवारा किया जाने बावत उनवानी वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष पेश कर रखा है जिसमें साक्ष्य वादी

हेतु आगामी ता0 पेशी 08.08.2019 नियत है। ख0न0 402 रकबा 10 एयर के समीप से मुख्य सड़क गुजर रही है जो बेसकीमति भूमि है। उक्त आराजी भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं0 1 ता 10 की संयुक्त आराजी है जिसकी किस्म अभी भी नहरी–1 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज है। अप्रार्थीगण नं0 1 ता 4 राकेश, मुकेश, सुकेश पि0 बृजवासी व दाखबाई बेवा बृजवासी उक्त आराजी की किस्म को कामर्शियल में संपरिवर्तित कराये बिना, बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना किसी संपरिवर्तन आदेश के कामर्शियल में उपयोग लेना चाहते है। जिसके लिये उन्होनें दिनांक 03.03. 2019 से नींव खोदकर दुकानों का निर्माण चालू कर दिया है जबकि उक्त आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है। दिनांक 01.08.2019 को सुबह लगभग 8–9 बजे अप्रार्थी नं. 1 राकेश ने प्रार्थी से गाली–गलौंच करते हुए प्रार्थी को यह धमकी दी थी ि कवह ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर का वर्तमान सरपंच है। उसकी वर्तमान उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम अप्रार्थी नं0 11 से अच्छी जान पहचान है। वह उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के माध्यम से आपके दावा को खारिज करवा देगा। प्रार्थी दिनांक 01.08.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम में अपने मुकदमे में उपस्थित हुआ तो यह देखकर आश्चर्य चकित रह गया कि उसके मुकदमे मे दिनांक 01.08.2019 को तनकीयात कायम की गई तथा साक्ष्य हेतु मात्र 7 दिवस की तारीख पेशी दी गई। जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दावा बिल्कुल नया है। उसका मु0न0 26/19 है जो कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि उक्त न्यायालय में काफी पुराने मुकदमे अभी तक विचाराधीन है जिनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे में उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को कार्य व व्यवहार से एवं अप्रार्थी न० 1 राकेश, वर्तमान सरपच ग्राम पचायत नांगल शेरपुर द्वारा दी गई धमकी से प्रार्थी को उक्त माननीय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम से न्याय की लेश मात्र भी उम्मीद नहीं है। न्यायहित में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दावे व टी.आई. प्रार्थना पत्र को माननीय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के यहाँ से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष विचारण हेतु भिजवाया जाये ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये और जबाव पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को नकारते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 ता 10 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और सभी बातें मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय स्थगन लिया हुआ है। आज तक किसी प्रकार की वार्ता अप्राथीयान से नही की गई है ना ही अप्रार्थीयान ने कोई धमकी दी है। अनावश्यक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को देरीना कर रहे है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी है जिसका विभाजन हिस्से अनुसार होना आवश्यक है यदि प्रकरण में त्वरित न्याय मिल रहा है तो प्रार्थी को क्या परेशानी है? अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीयान ने दौराने बहस अपने कथनों में सहमति जारी करते हुये प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है।

हमनें उभय पक्षकारान अभिभाषकगणों की आपसी सहमति एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावलियों का अवलोकन करने

पर पाया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम में प्रार्थी द्वारा दावा धारा 53 एवं प्रार्थना पत्र 212 का प्रकरण विचाराधीन होने पर प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के न्याय पर संदेह प्रकट किया गया है तो उस न्यायालय में प्रकरण को सुना जाना प्राकृतिक सिद्धान्तों के न्याय के विपरीत हेा जाता है। साथ ही प्रार्थी/अप्रार्थीयान् के अभिभाषकगणों ने भी प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तांतरण करने में सहमति दी है तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में भिजवाया जाना न्याय संगत प्रतीत हेाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 26/2019 उनवानी रामस्वरूप बनाम राकेश दावा 26/2019प्रार्थना पत्र को आगामी सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को स्थानांतरित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्षकारों को विधि अनुसार सुना जाकर दो माह की अवधि में प्रकरण का निस्तारण किया जावें साथ ही उभयपक्षकारान् को निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 20.11.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:11:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: